कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक / .... / स्था / चि / स्व / 21 इन्दौर, दिनांक

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में विभिन्न विभागों के सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन कमांक 10167 / स्था / चि / स्व / 2021 दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में दिनांक 23.11.2021 को आयोजित साक्षात्कार उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अनन्तिम रुप से सातवें वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स लेवल 11 में न्यूनतम मूल वेतन रू 68900 / –प्रतिमाह एवं समय–समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अधीन स्वीकृत किये जावेगें।

स.क्र.	चिकित्सा शिक्षक का नाम	श्रेणी	विभाग का नाम
01	DR. BHARAT SINGH	UR	माईक्रोबायोलॉजी
02	DR. MEENA JINWAL	SC	माईक्रोबायोलॉजी
03	DR. VARCHASVI MUDGAL	UR	मनोरोग
04	DR. RICHA CHOUDHARY	SC	मनोरोग
05	DR. ASHVIN CHOUHAN	ST	मनोरोग
06	DR. SANJU AGRAWAL	UR	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
07	DR. SHRADDHA PALIWAL	UR	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
08	DR. NEETA KARDA	UR	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
09	DR. DHARA SINGH	ST	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
10	DR. INDERLATA SOLANKI	ST	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
11	DR. RICHA CHOUKSEY	OBC	स्त्रीरोग एवं प्रसूति
12	DR. POOJA GANDHI	UR	एम0सी0डब्ल्यू0ओ0 कम सहायक प्राध्यापक (स्त्रीरोग एवं प्रसूति)

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर अथवा 15 दिवस में स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर कार्यभार ग्रहण करने की ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अमान्य किया जावेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जावेगें।
3. आपकी सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
5. आपकी नियुक्ति एक वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर होगी।
6. आपकी वरिष्ठता जारी आदेश में उल्लेखित विभागवार वरिष्ठाता कम के अनसुार वरिष्ठता ही रहेगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अपिव / महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
8. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
9. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाऐं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नही होगी।
10. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्र,(जाति प्रमाण पत्र सहित) उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर जमा करना होगी।
11. संस्था में नियुक्त किसी भी चिकित्सा शिक्षक को राजनैतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नही है।

निरंतर...........................2

12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति एवं परिविक्षा अवधि समाप्ति संबंधि कार्यवाही पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही मान्य होगी।
13. एन.पी.ए. भत्ता शासन द्वारा प्रचलित नियमानुसार देय होगा। इस हेतु विकल्प एक माह की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।
14. यदि आप किसी संस्था में कार्यरत है तो कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश / अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करें।
15. चयनित प्रत्याशी के विरूद्ध पी.एम.टी. यू.जी. / पी.जी. / एस.टी.एफ. आदि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्यवाही लंबित /प्रचलित होने पर उपरोक्त में आपकी सलिप्तता यदि पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। इस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. सेवा अवधि में नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के कदाचरण संबंधी कार्यवाही म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालीयन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत की जावेगी ।

//

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

पृ.क्रमांक / 19080-87 / स्था / वि / स्व / 21

इन्दौर, दिनांक 23/11/21

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अध्यक्ष कार्यपरिषद शासकीय स्वशासी म.गॉं.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक म.य.चिकित्सालय इन्दौर / मानसिक चिकित्सालय इन्दौर।
5. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष–माईक्रोबायोलॉजी / मनोरोग / स्त्रीरोग एवं प्रसूति विभाग ।
6. अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड स्वशासी संस्था एवं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन म.य.चि. इन्दौर।
7. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
8. संबंधित चिकित्सा शिक्षक डॉ. .... ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर